न्यायालय जिला कलेक्टर सवाईमाधोपुर

अपील(सू.का.अ)संख्या 05/2024 बउनवानी धनलक्ष्मी उर्फ सुनिता बनाम लो.सू.अधि.एवं उपजिला कलेक्टर खण्डार ,पत्नि कमलकिशोर नि0 एफ.22 किरण बिहार त्रिवेणी नगर गोपालपुरा बाईपास जयपुर,/ मूल निवास प्लाट नम्बर 75,रामलीला मैदान खण्डार

GCMS No-2024/5

तारीख हुकम	हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल जज
14.2.2024	पत्रावली पेश हुयी। अपीलान्ट नियत दिनांक को उपस्थित। लोक सूचना अधिकारी, उपजिला कलेक्टर खण्डार की ओर से पैरोकार उपस्थित। अपीलान्ट द्वारा सूचना चाहने हेतु दिनांक 02.12.2023 को लोक सूचना अधिकारी, उपजिला कलेक्टर ,खण्डार के कार्यालय में अधिनियम की धारा 6(1) के तहत प्रार्थना पत्र प्रेषित कर प्रार्थना पत्र मे उल्लेखित निम्नांकित सूचनाऐं उपलब्ध कराये जाने हेतु निवेदन किया गयाः–

1. दिनांक 26.10.2023 का प्रार्थना पत्र पर जिला कलेक्टर सवाईमाधोपुर का पत्र क्रमांक/चुनाव/2023/7093 दिनांक 31.10.2023 पर आज तक की गयी सम्पूर्ण कार्यवाही की सूचना दी जावे।

प्रस्तुत प्रार्थना पत्र में उल्लेखित सूचना, लोक सूचना अधिकारी, उपजिला निर्वाचन अधिकारी सवाईमाधोपुर द्वारा अपीलान्ट को अन्दर मियाद उपलब्ध नही कराये जाने के कारण उक्त अधिनियम की धारा 19(1) के तहत प्रथम अपील इस न्यायालय मे प्रस्तुत की गयी जो दर्ज रजिस्टर की जाकर सम्बन्धित लोक सूचना अधिकारी, उपजिला निर्वाचन अधिकारी सवाईमाधोपुर को तत्काल सूचना उपलब्ध कराने हेतु आदेशित किया गया साथ ही सम्बन्धित उभयपक्षों की सुनवायी तलबी जरिये नोटिस की गयी।

नियत पेशी पर अपीलान्ट उपस्थित। अपीलान्ट द्वारा दिनांक 5.2..2024 (प्राप्ति दिनांक 7.2.2024) को लिखित आपत्ति प्रस्तुत कर निवेदन किया कि उपजिला कलेक्टर खण्डार द्वारा अपीलान्ट को दिनांक 7.2.2024 तक कोई सूचना उपलब्ध नही करवायी गयी है।दौराने सुनवायी पैरोकार ने लोक सूचना अधिकारी,उपजिला खण्डार के जवाब नोटिस क्रमांक/सूकाअ/2024/56 दिनांक 23.01.2024 की ओर ध्यान आकर्षित कर कथन किया कि प्रार्थना पत्र दिनांक 02.12.2023 मे चाही गयी सूचना (प्रार्थना पत्र दिनांक 26.10.2023 पर की गयी कार्यवाही) निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण पदाधिकारी (एस.डी.एम.) खण्डार के पत्रांक/न्याय/2023/249 दिनांक 10.11.2023 से अपीलान्ट को उपलब्ध करवायी जा चुकी है। अतः अपील खारिज किये जाने बाबत पैरोकार द्वारा निवेदन किया गया।

पैरोकार द्वारा किये गये कथन एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात का गहनता से अवलोकन व मनन करने के उपरान्त मैं इस निष्कर्ष पर पहुँचता हूँ, कि अपीलान्ट द्वारा सूचना के अधिकार अधिनियम,2005 के प्रार्थना पत्र दिनांक 02.12.2023 मे चाही गयी सूचना (प्रार्थना पत्र दिनांक 26.10.2023 पर की गयी कार्यवाही) निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण पदाधिकारी(एस.डी.एम.) खण्डार द्वारा क्रमशः जरिये पत्रांक 770–771 दिनांक 28.10.23,पत्रांक 249 दिनांक 10.11.2023 तथा अपीलन्ट के भाई द्वारा पूर्व मे प्रस्तुत अपील संख्या 12/2023 वृन्दावन मथुरिया बनाम लोक सूचना अधिकारी में भी प्रार्थना पत्र दिनांक 3.11.2022 एवं 18.11.2022 जो कि मतदाता सूची के माध्यम से पहचान पत्र दिलवाने/अपनी आईडेन्टीटी बनवाने बाबत थे। उक्त उनवानी अपील में पारित निर्णय दिनांक 3.3.2023 में अपीलान्ट के भाई को स्पष्ट रूप से वस्तुस्थिति से अवगत कराया जा चुका है। इस अपील से संबंधित प्रार्थना पत्र दिनांक 26.10.2023 में भी अपीलान्ट अपनी Identity बनवाने को लेकर की गयी कार्यवाही की सूचना चाहती है। इस प्रकार अपीलान्ट द्वारा पुनः [illegible] विषयवस्तु की सूचना मांगी जाकर सरकारी संसाधनो का दुरूपयोग किया जा रहा है एवं अपने स्वंय [illegible] के साथ–साथ इस कार्यालय का समय भी बर्बाद किया जा रहा है [illegible] सूचना अपीलान्ट को प्राप्त हो चुकी है इसलिए अपील अपीलान्ट खारिज की जाती है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो एवं बाद तकमील दाखिल अभिलेख की जावे। आज्ञा सुनायी गयी।

Signature Not Verified
Digitally signed by Khushaal Yadav
Date: 2024.09.21 14:08:30 IST
Reason: SelfAttested

(डॉ0खुशाल यादव)
जिला कलेक्टर
सवाई माधोपुर

Scanned with OKEN Scanner